06/04/21 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान हाजिर हैं।
वकील पक्षकारान की बहस पूर्व में सुनी जा
चुकी है। पत्रावली, पत्रावली में प्रस्तुत
दस्तावेजात का अवलोकन, मनन किया गया।
प्र. सं.-2 बेरोजगार सरकार तहसीलदार, कि.
रेनवाल फोर्मल पार्टी है। वकील पक्षकरान के
प्रस्तुत बहस व दस्तावेज के आधार पर
वाद वादी का बाबत घोषणा व दुरुस्ती
इंद्राज का स्वीकार किया जाता है, वाद डिक्री
डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से
टंकित करवाया जाकर शामिल मिसल किया
गया। तहरीर पृथक से तहसीलदार, कि. रेनवाल
को मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रेकार्ड में
अमल दरामद हेतु जारी हो। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल
दफ्तर हो। निर्णय खुले इजलास में सुनाया जाकर
लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय
मुद्रा से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jayant Kumar
Date: 2021.07.26 16:32:07 IST
Reason: SelfAttested

1

न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – जयन्त कुमार R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 132/ 2018 दायर तारीख :– 12.07.2018

1. मूलसिंह पुत्र स्व0 उदयसिंह जाति राजपूत नि0 बेणियों का बास तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. हनुमानसिंह पुत्र स्व0 उदयसिंह
2. बजरंगसिंह पुत्र स्व0 उदयसिंह
3. किशनसिंह पुत्र स्व0 उदयसिंह
4. भोपालसिंह पुत्र स्व0 उदयसिंह
समस्त जाति राजपूत नि0 बेणियों का बास तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0
5. तहसीलदार तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थित :– श्री लक्ष्मणसिंह, अधिवक्ता वादी
श्री मनोज कुमावत, अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक– 06.04.2021

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि खाता सं0 57 की आराजी ख0नं0 188/1 रकबा 3 बीघा 7 विस्वा, ख0नं0 188/2 रकबा 22 बीघा 13 विस्वा, ख0नं0 190 रकबा 12 बीघा किता 3 कुल रकबा 38 बीघा व खाता सं0 58 की आराजी ख0नं0 193/2 रकबा 5 बीघा वाकै ग्राम बेणियों का बास प0ह0 हिंगोनिया तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 में स्थित है जो उक्त आराजीयात वादी की खातेदारी में दर्ज है। वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 स्व0 सावतसिंह के वंशज है। वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 स्व0 सांवतसिंह के पौत्र है इस प्रकार सांवतसिंह स्व0 उदयसिंह के जायंदा पुत्र है तथा स्व0 सांवतसिंह के पौत्र है इस प्रकार सांवतसिंह वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 के दादा लगते थे। वादी के प्राकृतिक पिता स्व0 उदयसिंह थे तथा स्व0 सांवतसिंह वादी के दादा लगते थे। सांवतसिंह के उदयसिंह जायंदा पुत्र थे जिनके वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 जायंदा पुत्र है लेकिन वादी की उपरोक्त आराजीयात वाद पत्र के मद सं0 1 में वर्णित में वादी की खातेदारी मूलसिंह दत्तक पुत्र सांवतसिंह व मूलसिंह पुत्र सांवतसिंह अंकित की हुयी है जबकि सावतसिंह वादी के दादा लगते थे ओर वादी उनका पौत्र है वादी के प्राकृतिक पिता स्व0 उदयसिंह है जो सांवतसिंह के जांयदा पुत्र है इस प्रकार वादी मूलसिंह का सांवतसिंह का गोद पुत्र होना ओर सांवतसिंह का मूलसिंह दत्तक पुत्र होना कतई सम्भव नही है। वादी की वाद पत्र के मद सं0 1 मे वर्णित आराजीयात जो कि वादी की खातेदारी की आराजीयात है उसमें सहवन से वादी को सांवतसिंह का दत्तक पुत्र/पुत्र बता दिया गया है जबकि वादी सांवतसिंह का पौत्र है इसलिए वादी की उपरोक्त खातेदारी जो कि वर्तमान में मूलसिंह दत्तक पुत्र सांवतसिंह व मूलसिंह पुत्र सांवतसिंह सहवन से गलत अंकित की हुई है उसकी जगह वादी की सही खातेदारी मूलसिंह पुत्र स्व0 उदयसिंह दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वादी के प्राकृतिक पिता स्व0 उदयसिंह है तथा वादी के समस्त दस्तावेजात आधारकार्ड, पहचान पत्र, सर्विस रिकोर्ड, वोटरलिस्ट, शैक्षणिक रिकोर्ड में पिता का नाम उदयसिंह ही दर्ज है इसलिए वादी की उपरोक्त आराजीयात में भी- पिता का नाम उदयसिंह [illegible] होना चाहिए था परन्तु सहवन से वादी के पिता उदयसिंह के स्थान पर वादी के दादा सावतसि[illegible] दर्ज हो गया। जो कि उक्त अंकन सहवन से हो ग[illegible] राज[illegible] अधिकारियों व कर्मचारियों से उक्त गलती को दुरूस्त क[illegible] हमेशा आश्वासन दिया कि जब कभी राजस्व [illegible] ी कर दी जावेगी परन्तु वादी की उपरोक्त खातेदारी में दुरूस्ती [illegible] की गई। वादी की उपरोक्त आराजीयात में वादी के पिता के रूप में साव[illegible] दर्ज होने से वादी को अपनी

सहायक कलक्टर
सांभर लेक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jayant Kumar
Date: 2021.07.26 16:32:07 IST
Reason: SelfAttested

आराजीयात को उन्नत व विकसित करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है
और अपनी भूमि पर ऋण इत्यादि लेकर उसको उन्नत व विकसित नहीं कर पा रहा है
जिसके कारण वादी ने दिनांक 28.02.18 को भी तहसीलदार कि0रेनवाल को अपनी
खातेदारी में पिता के नाम की दुरुस्ती किये जाने का निवेदन किया तो तहसीलदार
कि0रेनवाल ने वादी को न्यायालय से आदेश लाने को कहा इसलिए यह वाद घोषणा
घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज का पेश करना आवश्यक हुआ है।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं0 1
लगा0 4 की ओर से वकील श्री मनोज कुमावत ने वकालतनामा व जवाब दावा पेश
किया तथा अपने जवाब दावे में अंकित किया कि वादी का डिक्री किये जाने में उन्हें
प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी सं0 5 की ओर से जवाब
दावा पेश कर अंकित किया कि वाद के साथ संलग्न दस्तावेजात में रिकॉर्ड में पिता का
नाम उदयसिंह होना स्वीकार है तथा वादी के वाद के तथ्यों को प्रतिवादी सं0 5 द्वारा
स्वीकार किया है।

3. वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल सेटलमेंट
विभाग संवत् 2011–29, जमाबन्दी संवत् 2070–73, वोटरलिस्ट की प्रति, पेंशन प्रमाण
पत्र, कार्यालय पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के आदेश की प्रति, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर
के कार्यालय आदेश की प्रति, स्थानान्तरण पत्र, पहचान पत्र की फोटो प्रतियां पेश की
है।

4. बहस वकील पक्षकारान की सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि
खाता सं0 57 की आराजी ख0नं0 188/1 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 188/2
रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा, ख0नं0 190 रकबा 12 बीघा किता 3 कुल रकबा 38 बीघा व
खाता सं0 58 की आराजी ख0नं0 193/2 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम बेणियों का बास
प0ह0 हिंगोनिया तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 में स्थित है जो उक्त आराजीयात
वादी की खातेदारी में दर्ज है। वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 स्व0 सांवतसिंह के
वंशज है। वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 स्व0 उदयसिंह के जायंदा पुत्र है तथा स्व0
सांवतसिंह के पौत्र है इस प्रकार सांवतसिंह वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 के दादा
लगते थे। वादी के प्राकृतिक पिता स्व0 उदयसिंह थे तथा स्व0 सावतसिंह वादी के दादा
लगते थे। सांवतसिंह के उदयसिंह जायंदा पुत्र थे जिनके वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0
4 जायंदा पुत्र है लेकिन वादी की उपरोक्त आराजीयात वाद पत्र के मद सं0 1 में वर्णित
में वादी की खातेदारी मूलसिंह दत्तक पुत्र सांवतसिंह व मूलसिंह पुत्र सावतसिंह अंकित
की हुयी है जबकि सावतसिंह वादी के दादा लगते थे ओर वादी उनका पौत्र है वादी के
प्राकृतिक पिता स्व0 उदयसिंह है जो सांवतसिंह के जायदा पुत्र है इस प्रकार वादी
मूलसिंह का सांवतसिंह का गोद पुत्र होना ओर सांवतसिंह का मूलसिंह दत्तक पुत्र होना
कतई संम्भव नहीं है। वादी की वाद पत्र के मद सं0 1 मे वर्णित आराजीयात जो कि
वादी की खातेदारी की आराजीयात है उसमें सहवन से वादी को सांवतसिंह का दत्तक
पुत्र/पुत्र बता दिया गया है जबकि वादी सांवतसिंह का पौत्र है इसलिए वादी की
उपरोक्त खातेदारी जो कि वर्तमान में मूलसिंह दत्तक पुत्र सावतसिंह व मूलसिंह पुत्र
सांवतसिंह सहवन से गलत अंकित की हुई है उसकी जगह वादी की सही खातेदारी
मूलसिंह पुत्र स्व0 उदयसिंह दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। वादी के प्राकृतिक पिता
स्व0 उदयसिंह है तथा वादी के समस्त दस्तावेजात आधारकार्ड, पहचान पत्र, सर्विस
रिकोर्ड, वोटरलिस्ट, शैक्षणिक रिकोर्ड में पिता का नाम उदयसिंह ही दर्ज है इसलिए
वादी की उपरोक्त आराजीयात में भी पिता का नाम उदयसिंह ही दर्ज होना चाहिए था
परन्तु सहवन से वादी के पिता उदयसिंह के स्थान पर वादी के दादा सावतसिंह का
नाम गलत दर्ज हो गया। जो कि उक्त अंकन सहवन से हो गया। वादी ने कई बार
राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से उक्त गलती को दुरूस्त करने का निवेदन किया
तो उन्होनें वादी को हमेशा आश्वासन दिया कि जब कभी राजस्व केम्प गांव में लगाया
जावेगा तब दुरूस्ती कर दी जावेगी परन्तु वादी की उपरोक्त खातेदारी में दुरूस्ती नहीं
की गई। वादी की उपरोक्त आराजीयात में वादी के पिता के रूप में सावतसिंह दर्ज
होने से वादी को अपनी आराजीयात को उन्नत व विकसित करने में भारी परेशानी का
सामना करना पड रहा है ओर अपनी भूमि पर ऋण इत्यादि लेकर उसको उन्नत व
विकसित नहीं कर पा रहा है जिसके कारण वादी ने दिनांक 28.02.18 को भी
तहसीलदार कि0रेनवाल को अपनी खातेदारी में पिता के नाम की दुरुस्ती किये जाने का
निवेदन किया तो तहसीलदार [illegible] न्यायालय से आदेश लाने को
कहा इसलिए वादी ने उक्त वाद पेश किया [illegible] डिक्री किये जाने योग्य है। वकील

Signature Not Verified
Digitally signed by Jayant Kumar
Date: 2021.07.26 16:32:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 ने अपनी बहस मे कथन किया कि वादी का डिक्री किये जाने में हम प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 को कोई आपति नही है।

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानो का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 व तहसीलदार कि0रेनवाल के जवाब का भी अवलोकन किया गया तथा वादी का वाद मुताबिक तहसीलदार कि0रेनवाल के जवाब व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के जवाब पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूं।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जाती है कि आराजी खाता सं0 57 की आराजी ख0न0 188/1 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, ख0न0 188/2 रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा, ख0न0 190 रकबा 12 बीघा किता 3 कुल रकबा 38 बीघा व खाता सं0 58 की आराजी ख0न0 193/2 रकबा 5 बीघा वाकै ग्राम बेणियों का बास प0ह0 हिंगोनिया तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 में मूलसिंह दत्तक पुत्र सांवतसिंह व मूलसिंह पुत्र सांवतसिंह के स्थान पर **मूलसिंह पुत्र उदयसिंह** दर्ज किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तह0 कि0रेनवाल को आदेश प्रदान किये जाते हैं। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 06.04.2021 को मजमा-ए-आम में सुनाया गया।

(जयन्त कुमार)RAS
सहायक कलेक्टर
साम्भर लेक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jayant Kumar
Date: 2021.07.26 16:32:07 IST
Reason: SelfAttested